### "प्रपत्र सं. आइएनसी–26"

सामान्य सूचना कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में
प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में
और

**आरोड़ा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड**
**(CIN : U74899DL1991PTC042818)**
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी 415 एसएफएस फ्लैटस शेख सराय फेस 1, नई दिल्ली–110017 में स्थित है
.....आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए दिनांक **सोमवार 29 अगस्त, 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते आरोड़ा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
दिनांक : 20.09.2022 विनय मित्तल
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 01093694
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी 415 एसएफएस फ्लैटस शेख सराय फेस 1, नई दिल्ली–110017

---

### फार्म आईएनसी–26

**[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) के अनुवर्ती]**
**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष**

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में।
**तथा**
**सेगमेंटल कंसल्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74140DL2009PTC188591)**, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए–1 बी, 110–ए, कृष्णा अपार्टमेंट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 के विषय में .....याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने अपना पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य"** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 15.09.2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्पलैक्स, लोधी रोड, दिल्ली**–110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ–पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति आवेदक कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।

**हिते एवं कृते आवेदक**
**कृते सेगमेंटल कंसल्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड**
**हस्ता./–**
**(अजय कुमार मिश्रा)**
दिनांकः 15.09.2022 **निदेशक**
स्थानः दिल्ली DIN: 00206640

---

**बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI**

## चांदनी चौक शाखा, नई दिल्ली

फोनः +91–11–43277693, 43277691

### परिशिष्ट–IV –नियम–8(1) देखें, कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया, चाँदनी चौक शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा नियम 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.02.2022 को एक माँग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **1– श्री बेगराज सिंह, 2– श्री दशरथ**– से माँग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि रु. 64,22,632.86 (रूपये चौसठ लाख बाईस हजार छः सौ बत्तीस और छियासी पैसे) को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनमा को सूचित किया जाता है अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अन्तर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **15 सितम्बर, 2022** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्तियों के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ इण्डिया, चाँदनी चौक शाखा** को देय धनराशि **रु.** 64,22,632.86 और साथ में ब्याज देना होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ता के ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

### अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का सभी भाग व अंश जिसमें **प्लॉट नंबर 67, पॉकेट–डी, ग्राम कासना, ग्रेटर नोएडा तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र)** है।
चौहद्दीः–
**उत्तर की ओरः**प्लॉट नंबर 65, **दक्षिण की ओरः** 7.5 मीटर चौडी सड़क
**पूर्व की ओरः** 7.5 मीटर चौड़ी सड़क, **पश्चिम की ओरः** प्लॉट नंबर 66

दिनांकः 15.09.2022 प्राधिकृत अधिकारीः
स्थानः नई दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया

---

**SBI**

## भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली–110015,
फोनः 011-25419177, 25412977, ईमेल : sbi.05169@sbi.co.in

### कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता मैसर्स कैरीकॉन इंडिया लि. 1. श्री गोकुल राव (निदेशक और व्यक्तिगत गारंटर) टी–29/2 डीएलएफ फेज–3 डीएलएफ सिटी गुड़गांव हरियाणा–122010, 2. श्रीमती साधना राव (निदेशक और व्यक्तिगत गारंटर) टी–29/2 डीएलएफ फेज–3 डीएलएफ सिटी गुड़गांव हरियाणा–122010, 3. श्री प्रकाश भानु (निदेशक और व्यक्तिगत गारंटर) फ्लैट नं. 16 तृतीय तल पॉकेट नं. बी एंड सी सेक्टर–ए वसंत कुंज नई दिल्ली, 4. श्रीमती श्रीदेता प्रकाश (व्यक्तिगत गारंटर) फ्लैट नं. 16 तृतीय तल, पॉकेट नं. बी एंड सी सेक्टर–ए वसंत कुंज नई दिल्ली (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को** एक मांग नोटिस दिनांक **09-05-2022** को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू **7,74,97,564.00 (रू. सात करोड़ चौहत्तर लाख सत्तान्वे हजार पाँच सौ चौसठ मात्र) दिनांक 09.05.2022 तक और उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज एवं आकिस्मक खर्चे, लागत प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 उक्त नियमो के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा **16.09.2022** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक**, तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा– I, 23, नजफगढ़ रोड़, जखीरा फ्लाईओवर के पास, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते कुल राशि रू **7,74,97,564.00 (रू. सात करोड़ चौहत्तर लाख सत्तान्वे हजार पाँच सौ चौसठ मात्र) दिनांक 09.05.2022 तक और उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज एवं आकिस्मक खर्चे, लागत प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**संपत्तियों का विवरण**

**1. सर्वे नं. 1, प्लॉट नं. 2, रोड नं. टी–29, बेसमेंट और भूतल, डीएलएफ कुतुब एनक्लेव, हरियाणा–124001 में स्थित, कुल क्षेत्रफल 264 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती साधना राव के नाम पर है।**
**2. फ्लैट नं. 16, तृतीय तल, पॉकेट नं. बी एंड सी, सैक्टर–ए, वंसत कुँज, नई दिल्ली में स्थित, कुल क्षेत्रफल 995 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री प्रकाश भानू और श्रीमती श्रीदत्त प्रकाश के नाम पर है।**
**सभी अधिकारों, शीर्षक और हित, सुविधा, विशेषाधिकार और सम्पत्ति का स्वामित्व साथ में सभी फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, उस पर बनी संरचना, सामान्य रास्ता क्षेत्रों, सीढ़ियों और अन्य सामान्य सुविधाएं जो वहां उपलब्ध हैं, यदि कोई हो, आनुपातिक अधिकारों के साथ है।**

**दिनांक : 17-09-2022 स्थान : नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

---

## शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालयः** 501, सॉलकन औरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली–110025
**प्रधान कार्यालयः** 6ठवां तल, टॉवर–3, इंडिया ग्लाईकोल्स भवन, भूखंड सं. 2बी, सेक्टर–126, नोएडा–201304
**सीआईएनः** यू65900डीएल2020पीएलसी366027

### वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) एवं 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ताओं, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जिसका प्रधान कार्यालय 6ठवें तल, टॉवर–3, इंडिया ग्लाईकोल्स भवन, भूखंड सं. 2बी, सेक्टर 126, नोएडा–201304 में स्थित है, से ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं, वे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपनी ऋण सुविधाओं के ब्याज का भुगतान करने में विफल हो चुके हैं और कि इस प्रकार उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणकर्तागणों ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास अचल संपत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, जिनके विवरण यहां इसमें नीचे विवरणित हैं। ऋण के विवरण तथा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को ऋणकर्ताओं द्वारा दिनांक 26.08.2022 के अनुसार देय–भुग्तेय बकाया राशियां निम्न वर्णित हैं:

ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ताओं के साथ–साथ जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋणकर्तागण इस सूचना के 60 (साठ) दिवसों के अंदर अपने नामों के समक्ष उल्लेखित बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता, सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्तियों पर आधिपत्य स्थापित करने तथा उनका विक्रय करने की शक्ति भी सम्मिलित है। जनसाधारण को सलाह दी जाती है कि यहां नीचे विवरणित संपत्ति का लेन–देन न करें।

| ऋणकर्ताओं/गारंटर एवं बन्धककर्ता के नाम | प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) के विवरण |
|---|---|
| 1. लोकेश भाटी (ऋणकर्ता) निवासीः मकान सं. 816, गली सं. 16, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर 45, नोएडा जनपद जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश–201301, 2. मीरा देवी (गारंटर/बंधककर्ता) मकान सं. 816, गली सं. 16, सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर 45, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, 3. संजय त्यागी (गारंटर) निवासी मकान सं. 16, भंगेल बेगमपुर–2, नोएडा जनपद जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश–201301 | **संपत्ति का साम्यपूर्ण बंधकः** स्वामित्वधारक आवासीय भूखंड माप 83.61 वर्ग मीटर जो खसरा सं. 171, ग्राम–सदरपुर, परगना एवं तहसील–दादरी, जनपद–गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, जो बही सं. 1, जिल्द सं. 5976, पृष्ठ सं. 225 से 252 पर क्रमांक 3901 पर दिनांक 22.04.2014 को राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत और श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्वर्गीय जीतेंद्र पाल सिंह के नाम पर है तथा अचल परिसंपत्ति/यां/संपत्ति इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– महेश सोनी का भूखंड, पश्चिम– लोकेंद्र पाल सिंह का भूखंड, उत्तर– मनवीर चौहान का भूखंड, दक्षिण– सड़क 10 फुट चौड़ी |
| **एनपीए तिथिः 30 अगस्त 2022** | **ऋण खाता सं., मांग सूचना तिथि एवं राशि**<br>ऋण खाता सं. 100741011696, मांग सूचना तिथिः 14.09.2022, बकाया राशिः रु. 14,30,000/– दिनांक 14.09.2022 के अनुसार |

दिनांकः 20.09.2022 स्थानः नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, षिवालिक स्मॉल फाइनेस बैंक लि.

---

**IndiaShelter**

## इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय :प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002,**
**शाखा कार्यालय : दुकान नं. 6, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, सी.आर. मॉल, चर्च रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा–282002**

### अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों तथा सम्पत्ति के स्वामी से/आश्वस्ति कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

| क्र. सं. | कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी) तथा ऋण खाता संख्या | प्रभारित/बंधक सम्पत्ति का विवरण (निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग) | माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि तक बकाया राशि | सांकेतिक कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राधिका, राधिका वार्ड–7 फतेहपुर विकास नगर हरबतपुर देहरादून उत्तरांचल 248142 (HL24CHLONS000005004006) | खसरा संख्या– 544, (फसली 1417 से 1422) खसरा संख्या 455 क मिन क्षेत्रफल 83.27 वर्ग मीटर की भूमि का समस्त भाग, मौजा फतेहपुर परगना पछवा दून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में स्थित। सीमाः पूर्वः श्री धर्म चंद की संपत्ति साइड माप 32 फीट, पश्चिमः श्री अनूप की भूमि, साइड माप 32 फीट, उत्तरः 14 फीट चौड़ा रास्ता, साइड माप 28 फीट, दक्षिणः अन्य की भूमि, साइड माप 28 फीट। | **मांग सूचना 20/06/22**<br>रु. 8,88,880.21/– (रुपये आठ लाख अट्ठासी हजार आठ सौ अस्सी एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16/06/22 तक बकाया तथा 17/06/22 से ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत | 16/09/2022 |
| 2. | कमलेश पत्नी महेश चंद्र, हाउस नंबर –6 महोली – 3 मकान नं. 1 से 119 अंतिम ध्रुव नगर कॉलोनी मथुरा – 281001, उत्तर प्रदेश **(ऋण खाताः** HL11CHLONS00005004950/ HL11CHLONS000005027125 | 51.32 वर्ग मीटर की संपत्ति का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 51 और 52 के हिस्से में स्थित सारदा पुरी कॉलोनी मौजा मोहोली तहसील और जिला मथुरा संपत्ति की सीमाः पूर्वः प्लॉट नंबर 51 और 52 का हिस्सा, पश्चिमः प्लॉट नंबर 51 और 52 का हिस्सा, उत्तरः रोड 12 फीट चौड़ी, दक्षिणः प्लॉट नंबर 54 और 53 | **मांग सूचना 27/04/22**<br>रु. 789824.3/– (रुपये सात लाख नवासी हजार आठ सौ चौबीस एवं तीस पैसे मात्र) 30/04/22 तक बकाया तथा 01/05/22 से ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत | 15/09/2022 |

**स्थान : उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल, तिथि :** 16.09.2022, **इण्डिया शेल्टर कॉर्पोरेशन फाइनेंस लिमिटेड (अधिकृत प्राधिकारी)**
**किसी पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें : श्री अमित जायसवाल** (+91 97927 77791), **श्री अजय गुप्ता** (+91 7906826375)

---

**AXIS BANK**

**रिटेल एसेट सेन्टरः** एक्सिस बैंक लि., एसएन 6 से 8, यूनीटेक शॉपिंग प्लाजा, डी ब्लॉक मार्केट, साउथ सिटी 2, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा–122018–121002, **साथ हीः** एक्सिस बैंक लि., एक्सिस हाउस, टावर टी–2, 2रा तल, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रैसवे, जयपी ग्रीन्स, विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)–201301 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** "एक्सिस हाउस", ब्लॉक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई–400025, **पंजीकृत कार्यालयः** "त्रिशूल", 3रा तल, समर्थेश्वर टेम्पल के निकट, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

### सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह–ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि के लिये एक्सिस बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

| ऋणधारक/गारंटर का नाम | सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना तिथिः 25 मई, 2022 |
|---|---|---|
| 1. **श्री नितीश सेहगल,** पुत्र श्री रविन्दर सेहगल एवं श्रीमती कुलविन्द कौर सेहगल, पत्नी श्री नितीश सेहगल, दोनों निवासीः एच. नं. डी–15, दूसरा तल, साउथ सिटी–2, सेक्टर–48, गुरुग्राम–122018, हरियाणा<br>2. **श्री नितीश सेहगल,** पुत्र श्री रविन्दर सेहगल, एच–90सी, दूसरा तल, शकरपुर, हनुमान वाली गली, गांधी नगर, दिल्ली–110092<br>3. **श्री नितीश सेहगल,** प्रॉपराइटर प्रिन्ट वर्ड सीजी–87, भूतल, ब्लॉक सी, यूनीटेक आर्केडिया, साउथ सिटी–II, सेक्टर–49, गुड़गाँव, हरियाणा–122018 | साउथ सिटी–II, गुरुग्राम, हरियाणा के नाम से विदित कॉलोनी में प्लॉट नं. 130 के भाग, ब्लॉक ए, माप 150 वर्ग मी. (180 वर्ग यार्ड्स) के प्लॉट में इम्पार्टिबल तथा अविभाजित अधिकार एवं अंश के साथ भूतल पर फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स के साथ सम्पूर्ण निर्मित आवासीय भूतल, कवर्ड एरिया 917.083 वर्ग फीट लगभग (82.50 वर्ग मी.) चौहद्दीः उत्तरः बिक्री प्रलेख के अनुसार, दक्षिणः बिक्री प्रलेख के अनुसार, पूर्वः बिक्री प्रलेख के अनुसार, पश्चिमः बिक्री प्रलेख के अनुसार | **कब्जा की तिथिः 15 सित. 2022**<br>**मांग सूचना मे राशि (रु.):** रु. 5846021/– (रु. अन्ठावन लाख छियालिस हजार इक्कीस मात्र) |

एतद्द्वारा उक्त ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों को उक्त राशि का भुगतान करने के लिये 30 दिनों की सूचना दी जाती है जिसमें विफल रहने पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार गिरवी सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।

**तिथिः** 15.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थानः दिल्ली एवं दिल्ली एनसीआर** **एक्सिस बैंक लि.**

---

## दक्षिण रेलवे

### त्रिवेन्द्रम (कार्य शाखा)

### ई–निविदा सूचना सं. वी/डब्ल्यू/टीवीसी/19/2022 तिथि 16.9.2022

भारत के राष्ट्रपति की ओर से रेलवे प्रबंधक/कार्य शाखा/त्रिवेन्द्रम मंडल, त्रिवेन्द्रम–14 द्वारा हमारी ई–निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in**. में दी गई निविदा सूचना के अनुसार निम्न कार्यों के लिये ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित हैं। त्रिवेन्द्रम मंडल में कार्यों के लिये ई–निविदा के लिये आवेदन करने हेतु निविदाकारों/ठेकेदारों को ई–निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in**. में सूचीकरण कराना होगा तथा केवल ऑनलाइन निविदा ही स्वीकार की जाएगी।

| क्र. सं. | विवरण | अनुमानित मूल्य (रु.) (लाखों में) | धरोहर भुगतान राशि (रु. में) | पूर्णता अवधि माह में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्नाकुलम पी.वे. खंड-ईआरसी का ग्रीसिंग तथा बैलास्ट का बॉक्सिंग | 57.10 | 114200 | बारह |
| 2 | जोन ई–कोट्टायम पी.वे. खंड में कि.मी. 13.520 से कि.मी. 96.230 (चोट्टानिकरा रोड सहित एवं चेनगन्नूर सहित) तक सामग्री की आपूर्ति तथा विविध कार्यो का कार्यन्वयन | 55.00 | 11000 | बारह |
| 3 | अर्नाकुलम उप–मंडल में एलडब्ल्यूआर का डिस्ट्रेसिंग | 52.25 | 104500 | बारह |
| 4 | क्यूएलएन–ट्रैक मशीन के लिये प्रो सेटेलाईट डिपो –निरीक्षण शेड, मशीनरी शेड एवं पार्किंग शेड के लिये (शेष कार्य) | 217.72 | 258900 | छः |
| 5 | त्रिचूर पी.वे. खंड में ट्रैक का मैन्युअल डीप स्क्रीनिंग | 60.00 | 120000 | छः |
| 6 | थिरुवनंतपुरम मंडल–अर्नाकुलम पी.वे. खंड मं फार्मेशन का मानकीकरण | 282.08 | 291000 | अठारह |
| 7 | थिरुवनंतपुरम मंडल–एल्युवा पी.वे. खंड में फार्मेशन का मानकीकरण | 237.57 | 267300 | अठारह |
| 8 | अनवर गार्डन्स रेलवे कॉलोनी, पूजापुरा में स्टाफ क्वा. का मरम्मत | 156.42 | 228200 | बारह |
| 9 | बारह माह की अवधि के लिये त्रिवेन्द्रम एवं कोचुवेली में रेलवे संस्थापनों के लिये पेयजल की आपूर्ति | 138.08 | 219000 | बारह |
| 10 | टीवीसी मंडल–विनिर्दिष्ट पुलों तथा अन्य सरंचनाओ का प्रस्तावित अंडर वाटर निरीक्षण | 8.33 | 16700 | छः |
| 11 | थिरुवनंतपुरम मंडल–एलप्पुझा पी.वे. खंड में फार्मेशन का मानकीकरण | 279.47 | 289700 | चौबीस |
| 12 | सहायक मंडल अभियंता/क्विलोन उप–मंडल–क्रंकीट पुला का प्रो–प्रॉटेक्टिव कोटिंग तथा विशेष मरम्मत (फेज–II) | 186.49 | 243300 | तीन |
| 13 | त्रिवेन्द्रम मंडल–मंडल अभियंता दक्षिण क्षेत्राधिकार में लूप लाइनों पर स्लीपर डेन्सिटी (एस) को बढ़ाना। | 90.36 | 180700 | बारह |

**निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः क्रम सं. 1 से 7: 11.10.2022 के 15.00 बजे**
**क्रम सं. 8 से 13: 18.10.2022 के 15.00 बजे**

निविदा की अनुमानित मूल्य ईएमडी एवं लोकेशन का विवरण ई–पोर्टल www.ireps.gov.in पर दिया गया है। बोली जमा करने के विवरणों के लिये कृपया www.ireps.gov.in देखें।

**वरिष्ठ मंडल अभियंता/कोआर्डि., त्रिवेन्द्रम–14**

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

---

**POONAWALLA HOUSING FINANCE**
Apna Ghar, Apni Pehchan

## पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6वां तल, जीरो वन आईटी पार्क,
सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036

परिशिष्ट–IV (नियम 8(1) देखें)
**आधिपत्य सूचना**
**(अचल संपत्ति हेतु)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व मे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के उपरोक्त निगमित/पंजीकृत कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निम्न दिनांकित निर्गत की थी, जिसमें निम्न ऋणकताओं को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्तागण राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 की उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 15 सितंबर 2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। आधिपत्य में ली गई संपत्ति के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

| क्र. सं. | ऋणकर्ताओं के नाम | संपत्ति का विवरण | आधिपत्य लिए जाने की तिथि | संवैधानिक मांग सूचना की तिथि | मांग सूचना में राशि (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | किरण देवी, कृष्ण मोहन भगत, सुमित कुमार | बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो स्वामित्वधारक भूखंड भूमि के आवासीय अविशिष्ट पश्चिमी भाग के रूप में हैं, जिनकी माप 50 वर्ग गज है, जो खसरा सं 52/1,2,10, 11,20,52/8,53/15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,58//3,4 के अंतर्गत पड़ते हैं और वाका मौजा गौंची, उप–तहसील गौंची, जनपद फरीदाबाद में स्थित हैं | 15.09.2022 | 27.04.2022 | **ऋण सं. HM/0179/H/17/100031**<br>**रु. 5,77,753.86/-** (रुपए पांच लाख सतहत्तर हजार सात सौ तिरेपन एवं छियासी पैसे मात्र) जो **27.04.2022** के अनुसार वसूली होने तक 14.80% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ भुगतानयोग्य है। |

हस्ता./– **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः फरीदाबाद **पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
दिनांकः 20/09/2022 **(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**

---

## बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**कॉर्पोरेट कार्यालयः** सेरेब्रम आईटी पार्क बी 2 बिल्डिंग 5 वीं मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014।
**शाखा कार्यालयः** 14वां तल, कार्यालय सं. 1451, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट–ई 5, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली–110034

### कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4),
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत (परिशिष्ट–IV)

जैसा कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को मांग सूचना जारी की। कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों)के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से कथित नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को एतद्वारा निम्नलिखित कथित सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज के लिए बीएचएफएल के प्रथम प्रभार का विषय होगा।

| कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम (लैन नं., शाखा का नाम) | प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति) | मांग सूचना की तिथि तथा राशि | कब्जा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| शाखाः दिल्ली (लैन नंबर **4O1HSLEX263521)**<br>1. **अनुज प्रताप सिंह** (कर्जदार)<br>2. **शोभा सिंह** (सह–कर्जदार)<br>**पताः** मकान–सी–25/2, अल्ली विहार, सरिता विहार, नई दिल्ली–110076 | **अग्रलिखित गैर–कृषि सम्पत्ति का समस्त भागः** 2सरा तल, प्लॉट नं. डी–17, गली नं. 7, आरपीएस पाम्स आरपीएस सिटी, सेक्टर–88, फरीदाबाद, हरियाणा–121002, पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : सड़क, उत्तर : डी–18, दक्षिण : डी–16 | 20 जून, 2022<br>रु. 5,74,721/–<br>(रुपये पांच लाख चौहत्तर हजार सात सौ इक्कीस मात्र) | 15.09.2022 |

**तिथि : 20.09.2022 स्थान : दिल्ली, रा.रा.क्षे.** **अधिकृत प्राधिकारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

---

**ADITYA BIRLA CAPITAL**

## आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय**– इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
**शाखा कार्यालय**– जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कसारवादावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–400607 (महा.)

### मांग सूचना

**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)**

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा।**

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों में उनके ऋण खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, एबीएचएफएल ने उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत उक्त मांग सूचना में बताए गए अनुसार उपरोक्त राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर संविदात्मक दर पर आगे के ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की की गई है। हालांकि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से भी मांग सूचना दी जा रही हैः

| क्र. सं. | कर्जदार/सह–कर्जदार तथा जमानती/सह–जमानती का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं. | एनपीए की तिथि | मांग सूचना की तिथि | तिथि तक मांग सूचना के अनुसार राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. कुल भूषण अग्रवाल, पूरी तीसरी मंजिल, संपत्ति संख्या ए–38, ब्लॉक–ए, रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, आनंद विहार, नई दिल्ली –110092, 2. ममता क्रिएशन्स, पूरी तीसरी मंजिल, संपत्ति संख्या ए–38, ब्लॉक–ए, रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, आनंद विहार, नई दिल्ली–110092, 3. ममता अग्रवाल, पूरी तीसरी मंजिल, संपत्ति संख्या ए-38, ब्लॉक–ए, रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, आनंद विहार, नई दिल्ली–110092. 4. कुल भूषण अग्रवाल, ए–38 , तीसरी मंजिल, आनंद विहार, पूर्व, नई दिल्ली–110092, 5. ममता क्रिएशन्स, ए–38, तीसरी मंजिल आनंद विहार, पूर्व, नई दिल्ली–110092, 6. ममता अग्रवाल, ए–38, तीसरी मंजिल, आनंद विहार, पूर्व, नई दिल्ली–110092, 7. ममता क्रिएशन्स, शॉप नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, डीडीए मार्केट, जागृति एन्क्लेव, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली–110092, 8. ममता अग्रवाल, वाया ममता क्रिएशन्स, शॉप नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, डीडीए मार्केट, जागृति एन्क्लेव, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली–110092<br>**ऋण खाता संख्या LNDELLAP-11180045269 और LNDELHL-11180047150** | 13.09.2022 | 16.09.2022 | रु. 2,95,80,903.6/–<br>(रुपये दो करोड़ पिचानबे लाख अस्सी हजार नौ सौ तीन एवं साठ पैसे मात्र) बकाया मूलधन, एरियर द्वारा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा 16.09.2022 तक ब्याज |

**अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का विवरण** : पूरी तीसरी मंजिल का समस्त भाग (छत / टेरेस के अधिकार के साथ, सामान्य सुविधाओं यानी कॉमन ड्राइववे, प्रवेश, मार्ग, सीढ़ी के साथ, चार बेडरूम, एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम सेट, एक नौकर कक्ष के साथ, और एक शौचालय चालू, शीर्ष मंजिल यानी केवल दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल के रहने वालों के लिए उपयोग, उक्त भूमि में अविभाजित, अविभाज्य और इम्पार्टेबल आनुपातिक (यानी माप 60.19 वर्ग मीटर) स्वामित्व अधिकारों के साथ, सभी फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, संरचना, उस पर निर्मित, अन्य सामान्य सुविधाओं और उसमें प्रदान की गई सुविधाओं में सभी अधिकारों के साथ, फ्रीहोल्ड निर्मित आवासीय संपत्ति संख्या ए –38 में, क्षेत्रफल 300.99 वर्ग मीटर यानी 360 वर्ग गज प्लिंथ कवर क्षेत्र 189 वर्ग मीटर, रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड कॉलोनी की लेआउट योजना में स्थित, आनंद विहार, दिल्ली–110092, और सीमाएं निम्नानुसारः पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः सड़क 100 फीट चौड़ी, उत्तरः प्लॉट नंबर ए– 37, दक्षिणः ए–39

हम एतद्वारा यहां उपरोक्त कर्जदार से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि(यों) के साथ–साथ उस पर आगे के ब्याज के साथ–साथ लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, जिसमें विफल होने पर हम लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से आपके जोखिम पर प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेने और बेचने के लिए प्रतिभूत प्रवर्तित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से, पूर्वोक्त प्रतिभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल की बकाया राशि, एबीएच एफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बिक्री के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत की जाती है, तो प्रतिभूत संपत्ति को एबीएचएफएल द्वारा बेचा या या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और एबीएचएफएल द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा या उस प्रतिभूत संपत्ति का हस्तांतरण या बिक्री नहीं की जाएगी।

**दिनांकः** 20.09.2022 **ह./– अधिकृत प्राधिकारी**
**स्थानः दिल्ली** **(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)**

---

**POONAWALLA HOUSING FINANCE**
Apna Ghar, Apni Pehchan

## पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1,
घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036
शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, भूखंड सं. 122/728 एवं 729, शास्त्री नगर, कानपुर
(चेन फैक्ट्री चौराहा के निकट) पिन–208005

### ई–नीलामी विक्रय सूचना

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसंपत्ति का विक्रय।**

एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के पास बंधककृत निम्नवर्णित संपत्तियां अब निगमीकरण के प्रमाणपत्र द्वारा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में नवनामित हो चुकी हैं। इनका कब्जा अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत कंपनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया था। अब इन्हें निम्न वर्णित नियमों के अनुसार ई–नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा। यह विक्रय प्रयोज्य ब्याज, शुल्कों एवं लागत इत्यादि के साथ देय कंपनी की बकाया देयराशियों की वसूली के लिये किया जायेगा।

निम्न वर्णित संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत "जैसी हैं जहां हैं, वहां जो कुछ भी हैं तथा बिना उपाय आधार" पर बेचा जा रहा है:

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.poonawallahousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

| प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए) | मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी) | कब्जा की प्रकृति (सी) | संपत्ति का विवरण (डी) | आरक्षित मूल्य (ई) | धराज (आरपी की 10%) (एफ) | धराज जमा करने की तिथि (जी) | वृद्धिशील बोली (एच) | संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आई) | नीलामी की तिथि और समय (जे) | ज्ञात भारग्रस्तताएं /न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ऋण सं.: HM/0058/H/19/100024**<br>**कुलदीप अग्रवाल (उधारकर्ता)**<br>**बबीता देवी (सह–उधारकर्ता)** | सूचना तिथिः 22.03.2022 कुल देयराशिः रु. 17,23,980.91/– (रुपये सत्रह लाख तेईस हजार नौ सौ अस्सी एवं इन्यानबे पैसे मात्र) जो 22.03.2022 के अनुसार वसूली होने तक 14.00 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित भुगतानयोग्य है | भौतिक | बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा सं. 100केए मिन पर है जिसका क्षेत्र माप 24 ग 60 फुट अथवा 133.82 वर्ग मीटर है और जो ग्राम–लालपुर, तहसील रुद्रपुर, जनपद–उधम सिंह नगर में स्थित है | रु. 21,75,270/- (रुपए इक्कीस लाख पिचहत्तर हजार दो सौ सत्तर मात्र) | रु. 2,17,527/- (रुपए दो लाख सत्रह हजार पांच सौ सत्ताईस मात्र) | 27.10.2022 को 5 बजे से पूर्व | रु. 10,000/– | 21.10.2022 को (11 बजे–4 बजे) | 28.10.2022 को (11 बजे–2 बजे) | शून्य |

**"क्रय एवं विक्रय पर अन्य विवरणों तथा पूछताछों के लिये इकबाल आलम को (मोबाइल 9958195453) पर संपर्क करें"**

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह है कि शाखा तथा नीलामी पर रखी गयी संपत्तियों को देखने के लिये पहुंचे और शुल्कों, ऋणभारों के संबंध में अनिवार्य जानकारी प्राप्त करें। क्रेता को अपने स्वयं की जांच–पड़ताल करनी होगी तथा अतिरिक्त शुल्कों, ऋणभारों एवं किसी तृतीय–पक्ष के हितों को सुनिश्चित करना होगा और उपरोक्त संपत्ति से जुड़े हुये समस्त पहलुओं के बाबत स्वयं को/अपने आप को संतुष्ट करना होगा। संपत्ति से संबद्ध समस्त सांविधिक देयताओं जो कि संपत्तिगत करों, बिजली के बकायों तथा किसी अन्य देनदारी यदि कोयी हो, का सुनिश्चयन तथा भुगतान सफल बोलीदाता(ओं)/संभावित क्रेता(ओं) द्वारा किया जायेगा। बोलीदाता(ओं)/संभावित क्रेता(ओं) से उनके स्वयं के हित में अनुरोध है कि वे बोलियां जमा करने से पहले उपरोक्त के संबंध में तथा उपरोक्त वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित किसी अन्य सुसंगत विवरण के संबंध में स्वयं/अपने आप को संतुष्ट कर लें।

इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि., पताः भूखंड सं. 68, तृतीय तल, गुड़गांव, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नंबरः 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः Support@bankeauctions.com संपर्क हेतु व्यक्तिः विनोद चौहान, ईमेल आईडीः delhi@c1india.com, संपर्क नंबरः 9813887931 से संपर्क करके/उससे जानकारी प्राप्त कर स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत कर लें और अग्रिम में लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें, जो ई–बोलीदान हेतु अनिवार्य है। कृपया ध्यान रखें कि संभावित बोलीदातागण केवल इन्हीं से ही ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता से अपेक्षा है कि वे धरोहर राशि जमा (धराज) की राशि को 27.10.2022 को अथवा इससे पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से "पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि." के खाते बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लि., खाता सं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोड– आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी मार्ग, कोलकाता–700001 में जमा करें और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें तथा प्रयोक्ता आईडी व पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के उपरांत इच्छुक क्रेता/बोलीदाता से अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित प्रलेखों की प्रतियों को अपलोड करें, वास्तविक प्रतियों को पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी शरीफ अहमद, पताः 5वां तल, हलवासिया कॉमर्स हाउस, 11 एम.जी. रोड, हजरतगंज, लखनऊ–226001, मोबाइल नं.: 91 8840784993, ई–मेल आईडीः sharif.ahmad@poonawallahousing.com को ई–मेल एवं प्रेषित करें।

प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः रुद्रपुर (यू.पी.) पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
दिनांकः 20.09.2022 (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)

---

## दक्षिण रेलवे

(निर्माण संगठन)

### अर्नाकुलम जंक्शन

**निविदा सूचना सं. 03–डीसीई–सीएन–ईआरएस–ओटी–2022**
**तिथि:17.9.2022**

**कार्य का नामः** टीटीआई लॉबी, सीटीटीआइ कार्यालय, टीटीआई की महिलाओं के लिये रेस्ट रूम, सीटीआई, क्रू वैटिंग, कम्बाइन्ड क्रू लॉबी, सीसीआरसी, सीसीआरसी की महिलाओं के लिये रेस्ट रूम के वैकल्पिक स्थान के लिये ईआरएस में उपसीई कार्यालय का प्रस्तावित सुधार। निविदा मूल्य : रु. 38.86 लाख, पूर्णता अवधि : 2 माह, खुलने की तिथि 10.10.2022 के 15.00 बजे, सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज **https://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध होगी।

**उप मुख्य अभियंता (निर्माण)–1,**
**अर्नाकुलम जं.**

Follow us on : twitter.com/@GMSRailway

---

### "प्रपत्र सं. आइएनसी–26"

सामान्य सूचना कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में
प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में
और

**विनसन कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड**
**(CIN : U74899DL1995PTC069077)**
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी 415 एसएफएस फ्लैटस शेख सराय फेस 1, नई दिल्ली–110017 मे स्थित है
.....आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए दिनांक **सोमवार 29 अगस्त, 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते विनसन कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
दिनांक : 20.09.2022 दीपाली मित्तल
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 00644301
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी 415 एसएफएस फ्लैटस शेख सराय फेस 1, नई दिल्ली–110017

www.readwhere.com